न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
जयपुर(प्रथम), जयपुर

प्रार्थना पत्र सं0: 03/2020
पीठासीन अधिकारी: युगांतर शर्मा

1. लाली देवी पत्नि स्व0 भंवरलाल
2. सीता
3. गीता
4. नन्छी देवी
   पुत्रियां स्व0 भंवरलाल
5. कजोड़ मल पुत्र स्व0 भंवरलाल

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चक बोयतावाला, पटवारहल्का सरना डूंगर, तहसील जिला जयपुर

..............प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , जिला जयपुर

............अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत लिपिकीय त्रुटि दुरूस्त किये जाने</u>

::निर्णय::

दिनांक: 12.10.2020

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वाकै ग्राम चक बोयतावाला, पटवार हल्का सरना डूंगर, भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माचवा, तहसील व जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थीगण काबिज रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है।

यह कि प्रार्थीगण के स्व0 पति व पिता श्री भवंरलाल पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी चक बोयतावाला तहसील व जिला जयपुर, प्रार्थना–पत्र के मद नं0 1 में वर्णित भूमि के 42/130 हिस्से का खातेदार काश्तकार था, तथा उनकी मृत्यु होने के पश्चात् अब प्रार्थीगण उनके हिस्से की खातेदार काश्तकार है। स्व0 श्री भंवरलाल पुत्र रामदेव का राजस्व कर्मचारियो द्वारा संवहन से भंवरलाल के स्थान पर भौंरीलाल पुत्र रामदेव जाट, उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम भौरीलाल पुत्र रामदेव न होकर भंवरलाल पुत्र रामदेव था तथा वे भंवरलाल के नाम से ही जाने जाते थे।

यह कि स्व0 भंवरलाल ने अपने पुत्र प्रार्थी–5 कजोड़ मल को स्कूल में शिक्षा हेतु एडमिशन दिलाते समय उन्होने अपना नाम भंवरलाल लिखाते हुए अपने पुत्र का नाम, कजोड़मल पुत्र भंवरलाल अंकित करवाया था, इसलिए [illegible] का [illegible] शिक्षा के समस्त दस्तावेजात् में कजोड़मल पुत्र भंवरलाल ही दर्ज है। वास्तव में प्रार्थीगण के [illegible] व [illegible] का नाम भंवरलाल ही था, लेकिन उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में [illegible] के स्थान पर भौंरीलाल गलत रूप से अंकित कर दिया गया, यह गलती राजस्व कर्मचारियो द्वारा राजस्व रिकार्ड में इन्[illegible] हुए संवहन से लिपिकीय त्रुटि के रूप में हुई है। उक्त लिपिकीय त्रुटि को ठीक किया जाना [illegible] में आवश्यक है।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम) जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार–जयपुर से रिपोर्ट चाही गई, जिस पर तहसीलदार जयपुर द्वारा पत्रांक: 2186 दिनांक 07.08.2020 के संलग्न प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार जिसमें पटवारी सरनाडूंगर द्वारा फर्द–मौका, रिपोर्ट में "भौंरीलाल उर्फ भंवरलाल उर्फ भूराराम एक ही व्यक्ति बताया गया है।"

न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र तहसीलदार–जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट, दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी 05 द्वारा देय शपथ–पत्र में कजोड़मल पुत्र श्री भंवरलाल निवासी चक बोयतावाला ग्राम पंचायत सरना डूंगर, जयपुर द्वारा सशपथ पूर्वक बयान किया है कि "मेरे दस्तावेजों में मेरे पिताजी का नाम भंवरलाल लिखा हुआ है एवं जमाबंदी में भौंरीलाल लिखा है, उक्त दोनो नाम मेरे पिताजी के है" ग्राम पंचायत, सरपंच सरनाडूंगर पंचायत समिति झोटवाड़ा द्वारा श्री भंवरलाल जाट उर्फ भूराराम जाट दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ऐसे में तहसीलदार–जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है, " भौंरीलाल व भंवरलाल एक ही व्यक्ति के नाम है"। प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम भौंरीलाल पुत्र रामदेव के स्थान पर भंवरलाल पुत्र रामदेव, शुद्ध किया जाना स्वीकार्य है।
पत्रावली फैशल–शुमार नं० से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम,जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:51:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner